

प्रेषक,

**अबुल क़ैश,**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-11,  
हरदोई।

सेवा में,

**श्रीमान महानिबन्धक,**

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,  
लखनऊ।

द्वारा,

**श्रीमान जनपद न्यायाधीश,**

हरदोई।

विषय- अचल संपत्ति क्रय करने के संबंध में -

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी गाटा सं०-856 मिनजुमला रकवा 362 वर्ग मीटर स्थित मौजा कसारी मसारी तहसील सदर जनपद प्रयागराज का मालिक था, जिसमें से 30X55 वर्ग फिट भूमि मुव० 30,60000 रूपये में रिषी कुमार जायसवाल को विक्रय कर दी। विक्रय से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की गयी थी। उक्त प्रतिफल में से प्रार्थी सैयद मकसूद अली पुत्र सैयद निसार अली निवासी मकान सं०-77/87 बक्सी बाजार परगना व तहसील प्रयागराज से 30X49 वर्ग फिट भूमि मुव० 20,00000 रूपये में क्रय करना चाहता था, जिसकी अनुमति माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त की गयी थी। परन्तु सैयद मकसूद अली से क्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उसे क्रय नहीं कर सका। विक्रय की गयी धनराशि मुव० 30,60000 रूपये भारतीय स्टेट बैंक, कैपिटल गेन खाता सं०- 40068332928 में जमा कर दी गयी है। श्री सैयद मकसूद अली की भूमि क्रय न किये जाने के संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 10.03. 2022 को माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया था।

प्रार्थी लखनऊ शहर में आवास क्रय करना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थी ने शावेज नवाज पुत्र स्व० सलामत खान निवासी नैनीताल क्लब वार्ड मुबारक मंजिल पिलग्रिम लाज मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड) हाल निवासी 529डी/1/1286(88) जाग्रति विहार कल्यानपुर (पश्चिम) वार्ड शंकर पुरवा लखनऊ से मकान क्रय करने का इकरारनामा मोहायदा बय नोटरीकृत निष्पादित कराया है। इकरारनामा बय के अनुसार मकान सं०- 529डी/1/1286(88) जाग्रति विहार कल्यानपुर (पश्चिम) वार्ड शंकर पुरवा तहसील व जिला लखनऊ जो भूखण्ड सं०-88 भूमि खसरा सं०-172 आदिल नगर की 950 वर्ग फिट आंशिक भूमि पर बना है, को मुव० 35,00000 (पैंतीस लाख) रूपये में तय हुआ है, जिसमें से मुव० 1,00000 (एक लाख) रूपये मैंने




अपने बचत खाते से जरिये चेक दिनांकित 09.04.2022 अदा किया है। शेष धनराशि माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात कैपिटल गेन खाते में जमा संपूर्ण धनराशि तथा मेरे पी0पी0एफ0 खाता सं0-31299029267 में संचित धनराशि से अदा करूंगा। उल्लेखनीय है कि मेरा पी0पी0एफ0 खाता वर्ष 2021 में परिपक्व हो गया है, जिसमें मुव0 21,58,296 रुपये हैं। उक्त खाते की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को मेरे द्वारा संपत्ति विवरण में दी जाती रही है। विक्रेता अथवा उसके खास या दूरस्थ का कोई भी दीवानी अथवा फौजदारी वाद मेरे न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0-25/एडमिन(ए) दिनांकित 13.07.1988 में वांछित जानकारी पृथक प्रपत्र पर संलग्न हैं।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त अचल संपत्ति/भवन क़य करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

मैं माननीय महोदय का सदैव आभारी रहूंगा।

सादर,

भवदीय,

  
(अबुल क़श)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-11,  
हरदोई

दि0- 18.04.2022

संलग्नक

इकरारनामा मोहायदा बय की प्रति।